न्यायालय :–षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर(मध्य प्रदेश)
{समक्ष :– विपिन सिंह भदौरिया}

Registration No. CRR/303/2023
Filing No- 24256/2023
CNR No. MP 2001032550-2023
Filing Date 25/08/2023

डॉ0 लक्ष्मण शाह पिता श्री आर.एस. शाह
उम्र करीब 50 वर्ष
निवासी–हनुमानत चौक, आधारताल, अंधुआ
तहसील व ज़िला जबलपुर (म0प्र0)

---पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी

।। वि–रू–द्व ।।

01. गौरव कश्यप/गुप्ता पिता भागवत गुप्ता
उम्र 28 वर्ष
निवासी–चाणक्यपुरी कॉलोनी, थाना कुलगवां
सतना, जिला सतना (म0प्र0)

02. दुर्गा गुप्ता पत्नी भागवत गुप्ता
उम्र 50 वर्ष
निवासी–चाणक्यपुरी कॉलोनी, थाना कुलगवां
सतना, जिला सतना (म0प्र0)

03. अरूण सेन पिता श्री रामानुज सेन
उम्र 52 वर्ष
निवासी–राजेन्द्र नगर थाना सिटी कोतवाली
सतना, जिला सतना (म0प्र0)

04. अज्ञात अधिकारी/कर्मचारीगण स्मार्ट सिटी
चिकित्सालय रिलायंस पेट्रोल पंप के पास
वेदी नगर नागपुर रोड, जबलपुर (म.प्र.)

---गैरपुनरीक्षणकर्तागण

न्यायालय–(सुश्री नेहा तोमर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा यू0एन0सी0आर0 कमांक–1332/2023, अंतर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. में पारित आदेश दिनांक–14.06.2023 से उदभूत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका।

(विपिन सिंह भदौरिया)
(षष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

|| आदेश ||

(आज दिनांक–04 दिसम्बर 2023 को पारित।)

01. पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, (सुश्री नेहा तोमर) जबलपुर, जिला जबलपुर के द्वारा यू0एन0सी0आर0 क्रमांक–1332/2023, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. में पारित आदेश दिनांक– 14.06.2023 से परिवेदित होकर पेश की गई है।

02. पुनरीक्षण याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी ने गैरपुनरीक्षणकर्तागण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. का परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त परिवाद में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पेश आवेदन अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

03. उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 14.06.2023 में पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी के परिवाद धारा 156(3) में आदेश जारी करते हुए यह नही देखा कि परिवादी द्वारा दिनांक 03.02.2023 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर को शिकायत पत्र दिया गया है तथा उसी दिनांक को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस थाना गढ़ा के समक्ष भी शिकायत आवेदन भेजा गया है जो कि दिनांक 01.02.2023 को परिवादी पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दिनांक 01.02.2023 को पुलिस थाना गढ़ा के द्वारा शिकायत न दर्ज करने के बाद दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा थाना गढ़ा एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के समक्ष घटना के संबंध में विधिवत शिकायत दी गई थी। पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद में स्पष्ट रूप से दस्तावेज के समर्थन में यह लिखा गया कि अपराध क्रमांक 441/2022 में प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेज जो कि पृष्ठ क्रमांक 152 से 227 तक है, में किसी भी पृष्ठ में उसके हस्ताक्षर नहीं है ना ही पुनरीक्षणकर्ता द्वारा गौरव कश्यप का कोई इलाज स्मार्ट सिटी अस्पताल जबलपुर में किया गया है। परिवादी के नाम के हस्ताक्षर जो भी पृष्ठ क्रमांक 152 से 227 हैं कूटरचित हैं। पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी ने स्मार्ट सिटी चिकित्सा जबलपुर के विरूद्ध पूर्व में सन 2022 में भी फर्जी एम0एल0सी0 किए जाने की शिकायत पुलिस जबलपुर के समक्ष की थी जो कि किसी दमोह के इलाज के संदर्भ में थी किंतु उक्त शिकायत पर अस्पताल प्रबंधक द्वारा माफी मांगते हुए शिकायत वापस लिये जाने के अनुरोध पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पुनः अस्पताल प्रबंधक द्वारा परिवादी के हस्ताक्षरों का उपयोग कर कूट रचित चिकित्सा दस्तावेज तैयार किए गए एवं फर्जी एम0एल0सी0 परिवादी के नाम का उपयोग कर बनाए जाने पर उसने अस्पताल प्रबंधन एवं अन्य आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित था, इसके बाद भी धारा 156(3) में कार्यवाही न करते हुए प्रकरण खारिज किया गया। उक्त

(विपिन [illegible])
(षष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

04. गैरपुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है, उसमें कोई अवैधानिकता नही है। अतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जावे।

05. अवधारण हेतु निम्न प्रश्न उत्पन्न होता है कि :–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.06.2023 शुद्धता, वैधता एवं औचित्य की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है ?

//विवेचना एवं उसके आधार//

06. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधारों के संबंध में विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका आदेश दिनांक 14.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 14.06.2023 का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उक्त दिनांक को प्रकरण द0प्र0सं0 की धारा 156(3) पर तर्क हेतु नियत था और परिवादी के द्वारा उक्त दिनांक को धारा 156(3) द0प्र0सं0 पर तर्क प्रस्तुत किए गए और प्रकरण उक्त आवेदन पत्र पर आदेश हेतु दिनांक 30.06.2023 को नियत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया का पालन करते हुए द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के संबंध में परिवादी को सुने जाने के उपरांत आदेश हेतु नियत किया गया है। अतः आदेश दिनांक 14.06.2023 में वैधता, शुद्धता तथा औचित्यता संबंधी कोई त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है।

07. प्रस्तुत प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा पुनरीक्षण याचिका का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उसके द्वारा अपनी संपूर्ण पुनरीक्षण याचिका में आदेश दिनांक 14.06.2023 को आक्षेपित किया है, परंतु उसके द्वारा पुनरीक्षण याचिका में जो आधार लिए गए हैं वे द0प्र0सं0 की धारा 156(3) पर पारित आदेश दिनांक 30.06.2023 के विरूद्ध लिए गए हैं जिससे यह दर्शित होता है कि वस्तुतः पुनरीक्षणकर्ता आदेश दिनांक 30.06.2023 के विरूद्ध उक्त पुनरीक्षण याचिका लेकर न्यायालय के समक्ष आया है अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में आदेश दिनांक 30.06.2023 की वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता पर भी विचारण किया जाना आवश्यक है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए आधारों के संबंध में विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के तहत पृथक से कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, उसके द्वारा परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 में ही धारा 156(3) द0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा धारा 156(3) द0प्र0सं0 के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। विचारण

(... सिंह भदौरिया)
(... अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.2023 का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत रामयश तिवारी विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2013 (2) एम0पी0एच0टी0 531 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156(3) द0प्र0सं0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायिक दंडाधिकारी का यह समाधान होना चाहिए कि आवेदक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व घटना क्षेत्र के पुलिस थाना में विधिवत सूचना दी गई हो और सूचना देने के पश्चात एस0एच0ओ0 द्वारा क्या कार्यवाही की गई यह भी संज्ञान लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी संज्ञेन अपराध के गठित होने की संभावना परिलक्षित होती है तो इसके पश्चात न्यायालय का यह समाधान ही आवश्यक है कि उक्त संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराया जाना आवश्यक है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुलिस द्वारा अन्वेषण कराए जाने के आधार प्रकट न होने से विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द0प्र0सं0 के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है।

08. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 के निराकरण के संबंध में उक्त धारा 156(3) द0प्र0सं0 उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार–

> संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति–
>
> (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है।
>
> (2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रकम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।
>
> (3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

उक्त धारा में वर्णित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के प्रावधान वैवेकिक हैं। यह मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार का विषय है कि उन्हें परिवाद या आवेदन को धारा 156(3)द0प्र0सं0 के तहत पुलिस अनुसंधान के लिए निर्देशित करना है या धारा 200 एवं 202 द0प्र0सं0 के तहत स्वयं जांच करना है। न्यायालय के मत में ऐसे प्रकरण जिनमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर मामला अधारित हो जैसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी या हत्या किया जाना या ऐसे मामले जिनमें कोई सामग्री या दस्तावेज बरामद होना है हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा की विशेषज्ञ से जांच करानी हो और जो संज्ञेय प्रकृति के हों ऐसे मामलों को धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत पुलिस को

(विपिन सिंह भदौरिया)
(एष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

अनुसंधान के लिए भेजना उचित होता है, जबकि ऐसे मामले जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित हो या असंज्ञेय प्रकृति के हों या जिनमें सामग्री की बरामदगी का विशेष महत्व न हो और न्यायालय द्वारा जांच करके एक युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है उन्हें धारा 200 एवं 202 द0प्र0सं0 के तहत लेना चाहिए।

09. विचारण न्यायालय द्वारा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत रामयश तिवारी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0 2014 एम0पी0 1404 में दिए हुए निर्देशों का आलंबन भी आलोच्य आदेश में लिया है। उक्त न्यायदृष्टांत का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उक्त न्यायदृष्टांत में धारा 156(3) द0प्र0सं0 के संबंध में निम्नलिखत निर्देश दिए हैं–

> (i) Whenever a Magistrate is called upon to pass orders under Section 156(3) of the Code, at the outset, the Magistrate should ensure that before coming to the Court, the Complainant did approach the police officer in charge of the Police Station having jurisdiction over the area for recording the information available with him disclosing the comission of a cognizable offence by the person/persons arrayed as an accused in the Complainant. It should also be examined what action was taken by the SHO, or even by the senior officer of the Police, when approached by the complainant under Section 154(3) of the Code.
>
> (ii) The Magistrate should then form his own opinion whether the facts mentioned in the complaint disclose commision of Cognizable offences by the accused persons arrayed in the complaint which can be tried in this jurisdiction. He should also satisfy himself about the need for investigation by the Police in the matter. A preliminary enquiry as this is permissible even by SHO and if no such enquiry has been done by the SHO, then it is all the more necessary for the Magistrate to consider all these facdtors. For that purpose, the Magistrate must apply his mind and such application for mind should be reflected in the Order passed by him. Upon a preliminary satisfaction,

4-12-23

(विपिन सिंह भदौरिया)
(अष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

unless there are exceptional circumstances to be recorded in writing, a status report by the police is to be called for before passing final orders.

(iii) The Magistrate, when approached with a Complaint under Section 200 of the Code, should invariable proceed under Chapter XV by taking cognizance of the Complaint, recording evidence and then deciding the question of issuance of process to the accused. In that case also, the Magistrate is fully entitled to postpone the process if it is felt that there is a necessily to call for a police report under Section 202 of the Code.

(iv) Of course, it is open to the Magistrate to proceed under Chapter XII of the Code when an application under Section 156¼3½ of the Code is also filed along with a Complaint under Section 200 of the Code is the Magistrate decides not to take cognizance of the Complaint. However, in that case, the Magistrate, before passing any order to proceed under Chapter XII, should not only satisfy himself about the pre-requisites as aforesaid, but, additionally, he should also be satisfied that it is necessary to direct Police investigation in the matter for collecdtion of evidence whicih is neither in the possession of the complainant nor can be produced by the witenesses on being summoned by the Court at the instance of complainant, and the matter is such which calls for investigation by a State agency. The Magistrate must pass an order giving cogent reasons as to why he intends to proceed under Chapter XII instead of Chapter XV of the Code.

उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द0प्र0सं0 के संबंध में यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षणकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से

(विपिन सिंह भदौरिया)
(षष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

सम्पर्क करना चाहिए और सूचना देने के पश्चात एस.एच.ओ. के द्वारा दी गई कार्यवाही को भी संज्ञान में लेना चाहिए तथा मजिस्ट्रेट को उक्त आदेश पारित करने के पूर्व यह संतुष्टि होनी चाहिए कि उक्त मामले में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस को जांच का निर्देश देना आवश्यक है जो न तो शिकायत कर्ता के कब्जे में ओर न ही शिकायतकर्ता के कहने पर गवाहों द्वारा पेश किया जा सकता है और मामला ऐसा है जिसके लिए राज्य की एजेंसी द्वारा जांच किया जाना आवश्यक है।

10. द0प्र0सं0 की धारा 156 (3) के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 (2015) 6 एस0सी0सी0 287 भी उल्लेखनीय है जिसके अनुसार–

27. In our considered opinion, a stage has come in this country where section 156(3) CrPC applications are to be supported by an affidavit duly sworn by the applicant who seeks the invocation of the jurisdiction of the Magistrate. That apart, in an appropriate case, the learned Magistrate would be well advised to verify the truth and also can verify the veracity of the allegations. This affidavit can make the applicant more responsible. We are compelled to say so as such kind of applications are being filed in a routine manner without taking any responsiblility whatsoever only to harass certain persons. That apart, it becomes more disturbing and alarming when one tries to pick up people who are passing orders under a statuory provision which can be challenged under the framework of said Act of under Article 226 of the Consitution of India. But it cannot be done to take undue advantage in a criminal court as if somebody is determined to settle the scores. We have already indicated that there has to be prior applications under Section 154(1) and 154(1) and 154(3) while filing a petition under secdtion 156(3). Both the aspects should be clearly spelt out in the application and necessary documents to the effect shall be filed. The warrant for giving a directin that an applicatin under section 156(3) be supported by an affidavit so that the person making the application should be conscious and also endeavour to see that no false affidavit is made. It is because once an affidavit is found to be false, he will be liable for

(दीपेन्द्र सिंह भदौरिया)
(षष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

prosecution in accordance with law. this will deter him to casually invoke the authority of the Magistrate under Section 156(3). That apart, we have already stated that the veracity of the same can also be verified by the learned Magistrate, regard being had to the nature of allegations of the case. उक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के प्रावधान का दुरूपयोग न हो इसके लिए मजिस्ट्रेट को यह देखना चाहिए कि क्या परिवादी ने धारा 154(1) द0प्र0सं0 के तहत पुलिस को अपराध की सूचना दी है या नहीं, और यदि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की है तो उसने धारा 154(3) द0प्र0सं0 के तहत पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा लिखित अपराध की सूचना भेजी या नहीं। मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र से समर्थित आवेदन लेना चाहिए जिसमें उक्त तथ्य दर्ज हो कि परिवादी ने पुलिस को अपराध की सूचना दी लेकिन पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध नहीं किया, उसने पुलिस अधीक्षक को लिखित में डाक द्वारा अपराध की सूचना भेजी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ओर शपथपत्र की सत्यता को मजिस्ट्रेट को सत्यापित भी करना चाहिए उसके बाद भी द0प्र0सं0 की धारा 156 (3) की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

11. उक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान प्रकरण का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर थाना प्रभारी को दिए गए किसी भी आवेदन पत्र की कोई भी प्रति प्रस्तुत नहीं की है उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए पत्र दिनांक 03.02.2023 की प्रति अवश्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसमें उसने स्मार्टसिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ0 अमित खरे एवं गौरव कश्यप के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी निवेदन किया है। उक्त आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य वर्तमान परिवाद प्रकरण से भिन्न है तथा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वर्णित डॉक्टर अमित खरे के विरूद्ध धारा 156 (3) द0प्र0सं0 में कोई सहायता नहीं चाही है और न ही परिवाद पत्र में डॉक्टर अमित खरे का कोई उल्लेख है। परिवाद पत्र में वर्णित संपूर्ण तथ्यों के आधार पर कोई भी आवेदन पत्र क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन में पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा जिन आधारों पर उक्त परिवाद पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है उनका भी अवलोकन किया गया। उक्त परिवाद पत्र इस प्रकृति का नहीं है कि उसमें पुलिस संस्था द्वारा अन्वेषण कराया जाना आवश्यक हो। पुनरीक्षणकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेज आहूत करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और विचारण न्यायालय उन्हें आहूत भी कर सकता है तथा यदि हस्ताक्षर और हस्तलिपि की जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है तो पुनरीक्षणकर्ता स्वयं भी ऐसा विचारण न्यायालय के समक्ष कर सकता है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा धारा 156 (3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

(विपिन सिंह भदौरिया)
(षष्टम) अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.06.2023 को पारित करते समय विधि के सुस्थापित सिद्धांतों का पालन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2023 में भी वैधता, शुद्धता तथा औचित्यता संबंधी कोई त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है।

12. उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण के अनुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.06.2023 तथा आदेश दिनांक 30.06.2023 दोनों ही वैधता, शुद्धता तथा औचित्यता की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं है। विचारण न्यायालय के उक्त दोनों आलोच्य आदेश दिनांक 14.06.2023 तथा 30.06.2023 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार मौजूद नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में आलोच्य आदेश को आक्षेपित करने के संबंध में उठाए गए आधार उचित नहीं हैं। अतः पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।

13. आदेश की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख विचारण न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर पारित किया गया।

(विपिन सिंह भदौरिया)
षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म0प्र0)

मेरे बोलने पर टंकित।

(विपिन सिंह भदौरिया)
षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म0प्र0)

VIPIN SINGH BHADORIYA

Digitally signed by VIPIN SINGH BHADORIYA
Date: 2023.12.04 16:49:44 +0530